

>

Title: Need to declare Kalagarh as a Revenue region of Uttarakhand and transfer the land of Kalagarh region from the Government of Uttar Pradesh to the Department of Irrigation, Uttarakhand.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): मठोटया, मैं आपके माध्यम से इस यादन का ध्यान कालागढ़ क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ। कालागढ़ क्षेत्र का विकास रामगंगा नदी परियोजना के अंतर्गत 1960 के दशक में हुआ है, वर्तमान में यह क्षेत्र जनपद पौड़ी में कोटद्वार तहसील के अंतर्गत दुगड़ाला लाक की झेठ पट्टी के अंतर्गत विस्तृत है। यहां की लगभग 4-5 हजार आबादी विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार तथा लोक-सभा क्षेत्र गढ़वाल के प्रतिनिधित्व में संचालित है।

कालागढ़ क्षेत्र की मुख्य समस्या यह है कि यह (कालागढ़) न तो जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण शर्जरव रिकार्ड में दर्ज है और न ही किसी नगर पालिका/नगर क्षेत्र का हिस्सा बन पाया है। 1961 में कालागढ़ क्षेत्र में रामगंगा परियोजना के निर्माण की स्थीरता हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वन विभाग से सिंचाई विभाग को लगभग 22235 एकड़ भूमि कुछ शर्तों के साथ स्थानांतरित कर दी, जोकि 99 वर्ष के पहुँच पर है। उक्त लगभग 22235 एकड़ भूमि में से लगभग 20122 एकड़ भूमि जलाशय, लगभग 1259 एकड़ भूमि कार्यस्थल, सड़क आदि तथा 855 एकड़ भूमि कालोनियों, लात्रावास कार्यालय, कर्त्तव एवं पतका बाजार, रक्कूल, कालेज, विकित्सालय, ट्रेजरी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कलव्य, स्टोर्स, वर्कशाप, पुलिस रेशन, नलकूप्स, हैलीपैडस आदि टाउनशिप के लिए वन विभाग से सिंचाई विभाग को स्थानांतरित की गई। टाउनशिप के लिए स्थीरत लगभग 855 एकड़ भूमि में से लगभग 37 एकड़ भूमि की जलरत सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा बताई गई है।

शेष लगभग 491 एकड़ भूमि में से 448 एकड़ भूमि अब वन विभाग को वापस जा चुकी है। शेष 43 एकड़ भूमि वापस की जानी शेष है। लेकिन कालागढ़ निवासियों द्वारा इस पर ऐतराज किया जा रहा है, वयोंकि इसी भूमि पर कालागढ़ निवासियों की कालोनी, उत्तराखण्ड सरकार के कार्मिकर्त्ता के आवास, रक्कूल, विकित्सालय एवं बाजार आदि का निर्माण होना है। वैसे भी अब जब उत्तराखण्ड राज्य अस्तित्व में आ चुका है और इस भूमि की तीज भी अभी 2060 तक है तो उत्तर प्रदेश सरकार को कोई अधिकार नहीं कि वह भूमि को वन विभाग को वापस करे।

कालागढ़ क्षेत्र के निवासियों का ऐतराज जायज है तथा यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक गलत फैसला है कि भूमि वन विभाग को वापस की जाये। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह कालागढ़ क्षेत्र को वन ग्राम से शर्जरव ग्राम में परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकार को विशानिर्णेश दे तथा यह भूमि सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन को वापस दे जिससे वहां के निवासियों के विकास के लिए आवास, रक्कूल, विकित्सालय एवं बाजार का निर्माण हो सके।